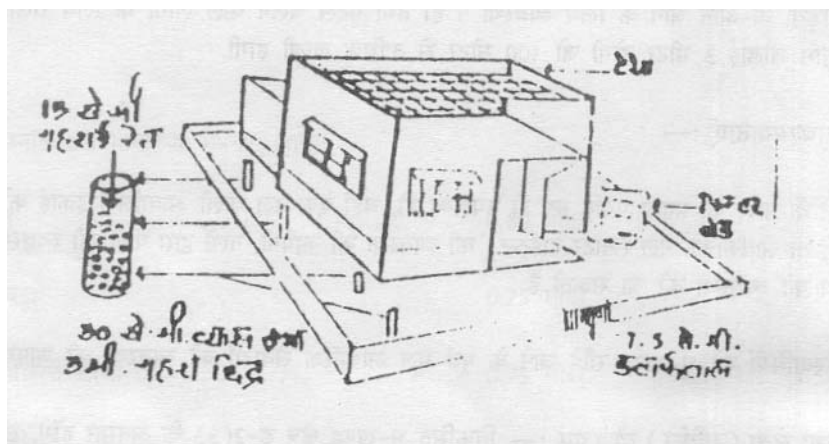


परिशिष्ट "ढ-1"

* (नियम 78 देखिए)

परकोलेशनपिट्स के माध्यम से वर्षा के पानी की हारवेस्टिंग
(एकल गृह)



प्लिन्थ के चारो ओर 3 मीटर गहरे एवं 30 से मी व्यास के परकोलेशनपिट्स 3-3 मीटर की दूरी पर खोदे जायें इनपिट्स को ईंट के टूटे हुए टुकड़ों से भरा जाये तथा इनपिट्स के ऊपरी भाग पर 15 से मी रेत भरी जाये। रिचार्ज की सुविधा के लिए प्रवेश द्वारा 7.5 से मी ऊंची डवार्फ वाल बनाई जाये।

* परिशिष्ट "ढ-1" से अंतःस्थापित राजपत्र दिनांक 28.4.2000